



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 363 राँची, शुक्रवार, 26 ज्येष्ठ, 1945 (श०)
16 जून, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश
15 जून, 2023

संचिका संख्या-04/स०भू० सराय०-02/2023-2072/रा०--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**31.05.2023** में मद संख्या-**09** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत चाण्डिल अंचल के मौजा-मानीकुई, थाना सं**0-262**, खाता सं**0-87**, प्लॉट सं**0-238/ए** रकबा-**0.28** एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि, किस्म-पुरानी परती काविल आबाद (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/रा0**, दिनांक-**24.10.2014** के आलोक में उच्चतर मूल्य का निर्धारण करते हुए विभागीय जापांक**48/रा0**, दिनांक-

03.01.2017 के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य **96,64,300/-** (छियानवे लाख चौंसठ हजार तीन सौ) रुपये प्रति एकड़ की दर से गणना की गई सलामी की राशि **27,06,004/-** (सत्ताईस लाख छः हजार चार) रुपये तथा सलामी का **1** प्रतिशत वार्षिक व्यवसायिक लगान की राशि **27,060/-** (सत्ताईस हजार साठ) रुपये एवं लगान का **75** प्रतिशत सेस की राशि **20,295/-** (बीस हजार दो सौ पंचानबे) रुपये एवं **29** वर्षों का एकमुश्त लगान एवं सेस की राशि **13,73,295/-** (तेरह लाख तिहत्तर हजार दो सौ पंचानबे) रुपये अर्थात् कुल देय राशि **41,26,654/-** (एकतालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ चौवन) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-II) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ सिटी गैस स्टेशन निर्माण हेतु व्यवसायिक प्रयोजनार्थ मेसर्स गेल गैस लि० (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ **30** (तीस) वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- ii. उपायुक्त, सरायकेला- खरसावाँ प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iii. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय कंपनी से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- iv. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतान होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

- v. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची निकाय/संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- vi. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- vii. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 एवं विभागीय संकल्प संख्या-48/रा0, दिनांक-03.01.2017 तथा खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के अपर सचिव

संचिका संख्या-04/स0भू0 सराय0-02/2023-2072रा0--

दिनांक-15.06.2023

अनुलग्नक-I

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र0	अभिलेख सं0	अंचल	मौजा/थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01	04/2021-22	चाण्डिल	मानीकुई/262	87	238/ए	0.28	पुरानी परती काविल आबाद
कुल रकबा-						0.28 एकड़	

प्रस्तावित भूमि की चौहद्दी :-

प्लॉट सं0	चौहद्दी
238/ए	उत्तर में प्लॉट सं0-238 अंश दक्षिण में प्लॉट सं0-238 अंश पूरब में प्लॉट सं0-240, 239 एवं 238 अंश पश्चिम में-रास्ता एवं प्लॉट सं0-237

अनुलग्नक-II

प्रस्तावित भूमि हेतु देय राशि की गणना :-

अभिलेख सं0	मौजा का नाम	रकबा(ए0 में)	मूल्य प्रति एकड़(रूपये में)	सलामी की राशि(रूपये में)	सलामी का 1% वार्षिक लगान(रूपये में)	लगान का 75% सेस(रूपये में)	शेष 29 वर्षों का एकमुश्त लगान एवं सेस की राशि(रूपये में)	कुल(रूपये में)(5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04/2021-22	मानीकुई	0.28	96,64,300/-	27,06,004/-	27,060/-	20,295/-	13,73,295/-	41,26,654/-

अर्थात् कुल देय राशि 41,26,654/- (एकतालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ चौवन) रुपये मात्र ।

सरकार के अपर सचिव ।
